

कार्यालय, जिला शक्ति अधिकारी (BHOPAL), मध्यप्रदेश

दरभाषः

फैक्स:

ई-मेल:

दिनांक:- 07/03/2017

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 3221121702/26754  
प्रति,

प्रबंधक,

(St. Mary's Convent Sr Sec School)

दर्शय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार जियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

नहादय महोदया,

आपको आदेतन पत्र दिनांक 01.01.1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्यर्थी पत्र ट्यूचर/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल St. Mary's Convent Sr Sec School, 1250 Qtrs Tulsi Nagar Bhopal को कक्ष KG-I से कक्ष 8th तक के लए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लखत शर्तों की दृष्टि के अध्यधीन होगी:-

मान्यता वस्तावित नहीं होगी तथा शक्ति 8 से आगे की मान्यता अवधि की कोई बदलता नहीं हो रुप में यदि काल नहीं होगी।

- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपर्युक्त 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्ति का अधिकार, 2010 (उपर्युक्त 2) के उपर्युक्त का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पक्षीस की सीमा के बाहर तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्ष 1 से स्कूलतम 25 प्रतिशत प्रदेश देगा। उस दश ने, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है, तो इसमें प्रति वर्ष बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य पारंपरिक शक्ति देगा जिस रूप से उसके दो दिक्षां आदर्शी व्यय को घटा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आदर्शी सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह स्कूलतम पद्धतीस प्रतिशत के अधीन होगा विद्यार्थी के जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (प स्कूल) शक्ति दी जाती है यहां अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) से (ग) के उपर्युक्त द्रुत्कूल ने प्रधान के लए लागू होगे।
- दीर्घ 3 मेरिंड्र बालकों के लए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से दीर्घ जाति उपलब्ध कराना होगा।
- होमाइटी स्कूल कोई भी कृपेशन की संयह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभावाद्वय की साथ कसी छान्दोग्य एक्साम को नहीं अपलोडगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रधान के लए जारी करेगा-
  - (ग) आयु के समूह के अन्वय में;
  - (घ) यदि प्रधान के लए यहित की गई वस्तावित कालावधि के प्रधान रेश प्रधान घाह गया है;
  - (ङ) यहीं जाति या मूलधर्म, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी अधिकार पर।
- स्कूल मुनिषित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रारंभिक शक्ति पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी लक्षण में रोका या नियम सत नहीं कर्या जाएगा;
  - यहीं बालक को विशेष या मान सक्ति रूप से प्रति इत नहीं कर्या जाएगा;
  - प्रारंभिक शक्ति पूर्ण होने तक बालक को कोई गोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आदरशकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शक्ति पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम की उपर्युक्त को अनुसार निःशल/वरीश अद्यवकला वाले बालकों को समाहित यथा जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित स्कूलतम योग्यता अनुसार शक्ति की अदर्शी की आपाती बराही के अपेक्षान में कार्यरत जो शक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर स्कूलतम उत्तेजना नहीं रखते हैं, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 दिनों की अवधि में निर्धारित स्कूलतम अहेतु प्राप्त करनी होगी;
  - शक्ति को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायदेवट दी चंग की गति व धर्मी जी शक्ति स्वयं भाग नहीं ले रहे होंगी।
- स्कूल सभूत या अधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 मेरिंड्र कार अनुसार स्कूल में उपलब्ध सु दधि के अनुपात में स्कूल में विद्यार्थी का लाभांकन कर्या जाएगा।

Report Generated from www.educationportals.mp.gov.in / Date : 07/03/2017  
Report Created on 15/02/2011 and last updated on 15/02/2011

Page 1 of 2

*Sr. Magtap*

PRINCIPAL

St. Mary's Convent Sr. Sec. School

BHOPAL

District Education Officer  
Distt. Bhopal